तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स प्रेम v/s मक्खनलाल आदि अपील नम्बर 03/14	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
28/8/18	वकील फरीकैन उपस्थित। पुकार वास्ते अधीनस्थ रिकार्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक 25/9/18 को पेश हो। Riz	
13/11/18	तारीख पेशी जनरल नोटिस से बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। पुकारकर दि० 17/12/18 को पेश हो।	
17/12/18	वकील फरीकैन उपस्थित। पुकार दि० 24/1/19 को पेश हो।	
24/1/19	वकील फरीकैन उपस्थित। अधीनस्थ रिकार्ड तहसील रा० सपोटरा से प्राप्त हो चुका है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 6/3/19 को पेश हो।	
6/3/19	वकील फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 19/3/19 को पेश हो।	
19/3/19	वकील फरीकैन उपस्थित। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल हुआ, रीकार्ड नम्बर से फ़ाइल हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
03/14	अपील नामा0	13.01.14	19.03.2019

प्रेम पुत्री वीरया उर्फ बीरबल पत्नि प्रहलाद जाति मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अपीलॉण्ट्

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र गोपी जाति मीना निवासी एकट तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. प्रकाशी पत्नि बृजलाल जाति मीना निवासी ग्राम एकट तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. ग्राम पंचायत एकट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत एकट तहसील सपोटरा जिला करौली।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 20.06.2011 न्यायालय ग्राम पंचायत एकट बाबत नामा0 सं0 860 ग्राम एकट स्वीकृत किया गया है के विरूद्व

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि निर्णय दिनांक 20.06.2011 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत एकट बाबत् नामा0 सं0 860 ग्राम एकट खिलाफे कानून रूहदाद मिसल है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलॉण्ट द्वारा दिनांक 10.07.2008 को एक वाद न्यायालय हाजा मे आराजी खसरा नं0 288, 290, 697, 702 एवं खसरा नं0 2 तथा खसरा नं0 51, 55 ग्राम एकट का एक वाद धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत अपने 1/2 हिस्से का बंटवारा व घोषणा खातेदारी कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जिसका विचारण होने के बाद न्यायालय हाजा ने निर्णय कर वादीया को उक्त भूमि के हिस्से 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा अपीलॉण्ट डिक्री दिनांक 22.06.2011 को किया गया जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट्स व अन्य दावे के प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर मे पेश किये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा को रिमाण्ड की गई जो दिनांक 31.10.2012 को दर्ज किये जाने के बाद उक्त वाद पत्र न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.01.2014 नियत है और उक्त दावे मे पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा यथावत है। दौराने दावा रेस्पोडेंट ने दावे मे विवादित आराजी खासरा नं0 51, 55 ग्राम एकट मे से रेस्पोडेंट नं0 1 अम्बालाल ने 2/45 हिस्सा भूमि को दिनांक 13.06.2011 को रेस्पों0 नं0 2 को अवैध तौर पर असस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहते हुए वादीया से छिपाते हुये विक्रय पत्र पंजीयन करा दिया और उक्त अवैध विक्रय पत्र के सबब अवैध तौर पर रेस्पो0 नं0 2 ने रेस्पों0 नं0 3 से साजिश कर वादीया से छिपाते हुये अपने ह कमे अवैध तौर पर जैर अपील नामान्तरकरण सं0 860 ग्राम एकट दिनांक 20.6.2011 को स्वीकृत अवैध तौर पर दौराना दावा करा लिया है। उक्त हस्तान्तरण दौराने दावा है लिसपेन्डिस है और अपीलॉण्ट के हक हकूक पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है। और अपीलॉण्ट पर बाध्यकारी नही है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय दिनांक 20.06.2011 बाबत् नामा0 सं0 860 ग्राम एकट अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विवरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलॉण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 20.06.11 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत एकट निरस्त फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जरिये नोटिस की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 एवं 2 उपस्थित होकर जरिये वकील वकालतनामा पेश किये गये। तहसीलदार सपोटरा से अपीलाधीन नामान्तरकरण परत तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध नामान्तरकरण सं0 8660 ग्राम एकल की फोटो प्रति मे अंकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 सं0 1 ने अपने हिस्से की आराजी को रेस्पो0 सं0 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया है यह बात अपीलॉण्ट अपने अपील तथ्यों मे भी स्वीकार कर रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल किया जाना कानूनन उचित है। नामान्तरकरण अपील के माध्यम से रजिस्टर्ड बयनामा का नामान्तरकरण को खारिज किया जाना कानूनन उचित प्रतीत नही होता है। अपीलॉण्ट वकील ने अपील तथ्यों मे विवादित आराजीयात पर अस्थायी निषेधाज्ञा लागू होने का जिक्र किया है किन्तु इसके सम्बन्ध मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का स्थगन हो। विवादित आराजीयात से सम्बन्धित वाद पत्र इस न्यायालय मे विचाराधीन है इस बाबत् पेश की गई वाद पत्र की आदेशिका दिनांक 20.03.2013 तक ही प्रस्तुत की गई है इसके बाद की आदेशिका प्रस्तुत नही करने के कारण वाद पत्र की वर्तमान स्थिति का पता नही चल सकता है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलॉण्ट खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 19.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner